रजिस्ट्री सं॰ डी एल(एन)-04/0007/2003-05

REGD. NO. DL(N)-04/0007/2003-05

MRA IN USIUS The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक WEEKLY

सं. 23]

नई दिल्ली, मई 29—जून 4, 2005, शनिवार/ज्येष्ठ 8—ज्येष्ठ 14, 1927

No. 23]

NEW DELHI, MAY 29—JUNE 4, 2005, SATURDAY/JYAISTHA 8—JYAISTHA 14, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय शिलांग, 8 मार्च, 2005

सा.का.नि. 179.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वीत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग (वर्ग 'ख' पद) भर्ती नियम, 1986, जहां तक वे निजी सचिव और आशुलिपिक ग्रेड I के पदों के संबंध में हैं, का अधिक्रमण करते हुए, परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थिगित बातों को छोड़कर, राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वीत्तर परिषद् सचिवालय में निजी सचिव के पद की भर्ती प्रणाली को विनियमित करने वाले नियम बनाते हैं; नामत :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, निजी सचिव, वर्ग 'ख' पद भर्ती नियम, 2005 कहा जाएगा।
 - (2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।
- 3. **भर्ती प्रणाली, आयु सीमा, अर्हता आदि :** उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

1576 GI/2005

- 4. अनर्हता : जिसने,-
 - (क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों; या
 - (ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो;

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

- 5. शिथिल करने की शिवत: जहां केन्द्र सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथल कर सकती है।
- 6. व्यावृत्ति : इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में शिथिलता और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

				अनुसूची				
पद का नाम	पदों की स	रेख्या	वर्ग	करण	वेतनम	ान ।	प्रवरण पद	या गैर प्रवरण पर
1	2		3		4			
निजी सचिव	पर पदों व	5) (के आधार ही संख्या में : सकता है।	सामान्य वर्ग 'र राजपि अनुसरि	रत,	₹. 6500-200	0-10500	प्रवर	nt
क्या जोड़े गए सेवा केन्द्रीय सिविल से नियम, 1972 के ि तहत देय हैं	वा (पेंशन)	सीधी भर्ती द्वारा नि पाने वालों के आयु-सीमा	ACCUPATION OF THE PARTY OF THE	सीधी भर्ती द्वारा वालों के लिए शैं।	The state of the s	क्या सीधी नियुक्ति प व्यक्तियों प्रोन्तत व्य मामले में	गाने वाले की अर्हताएं, वितयों के	'परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6		7		8		9		10
लागू नहीं	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	लागू नहीं		लागू नहीं		लागू नहीं		दो वर्ष
भर्ती प्रणाली : सी प्रतिनियुक्ति/आमेल द्वारा भरे जाने वाले	न द्वारा और विभि			यदि भर्ती, प्रोन्नति प्रोन्नति/प्रतिनियुरि			जाती है तो वे	ग्रेड जिनसे
1	1				12	2		
प्रोन	ति			प्रोन्तिः				
				ग्रेड में छह वर्ष व नोट : जहां अई विचार किया जा	ता/पात्रता प्राप्त व	त्रने वाले का	नेष्ठ कर्मचारि	

किया जाएगा परन्तु यह और कि उनकी अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा वर्ष के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने से कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ अगले उच्च ग्रेड प्रान्ति के

लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरा किया है।

यदि कोई विभागीय प्रोन्निति समिति है, तो उसकी संरचना व	जिन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा		
13		14	
वर्ग 'ख' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित पर विच लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे :—	ार करने के	इन नियमों के उपबंधों में संशोधन/शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक होगा।	
1. सचिव, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग	—अध्यक्ष		
2. उप सचिव, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय	सदस्य		

[सं.' एनईसी/एडीएम/12/2003] राजीव माथुर, उप सचिव

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

NORTH EASTERN COUNCIL SECRETARIAT

Shillong, the 8th March, 2005

- G.S.R. 179.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1986, in so far as they relate to the posts of Private Secretary and Stenographer Gr. I, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Private Secretary in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely:—
- 1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called North Eastern Council Secretariat, Shillong, Private Secretary Group 'B' Post Recruitment Rules, 2005.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.
 - 4. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

		**	SCHEDULE		
ame of te post	Number of posts	Classification S	cale of Pay	Whether selection or Non-selection Post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules 1972
1	2	3	4	5	6
rivate ecretary	5* (2005) *Subject to variation dependent on work- load.		Rs. 6500-200 0500	Selection	Not applicable
A ga limit fo	or direct recruits	Educational qualification	on Wi	ether age and qualific	cation Period of probation,
Age mint to	I (III CET CATALLE)	required for direct recr	uits pre wil	scribed for direct re 1 apply in the ca motees	ecruits if any
7		8		9	10
Not applica	ible	Not applicable	****	Not applicable	Two years
·	11	filled by various methods		12	
	Promotion		Stend grade Note eligi senio of the of su is les	: Where juniors who bility service are being ors would also be conserequisite qualifying/ech qualifying eligibility, and have successful romotion to the next heave alredy complete.	h six year's regular service in the have completed their qualifying g considered for promotion. The sidered provided they are not show the service or two years, which ever a completed their probation periodigher grade along with their junion eted such qualifying/eligibility
If a Depar	ion	on Committee exists, wha	t is its	Circumstances i Commission to be	n which Union Public Service consulted in making recruitmen
	В				1
promotio	on) consisting of tary. North Easter	Promotion Committee: n Council Secretariat th Eastern Council Secret	—Cha	Commissi irman relaxation	on with Union Public Service on necessary for amendment/ of the provisions of these

शिलांग, 16 मई, 2005

सा.का.नि. 180.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद्, सिववालय, शिलांग (आशुलिपिक ग्रेड-III के वर्ग 'ग' पद) भर्ती नियम, 1995, और पूर्वोत्तर परिषद् सिववालय, शिलांग (आशुलिपिक ग्रेड-III पद) भर्ती नियम, 1995 का अधिक्रमण करते हुए, परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थिगित बातों को छोड़कर, राष्ट्रपित एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद्, सिववालय शिलांग में आशुलिपिक ग्रेड-II और आशुलिपिक ग्रेड-III के पदों पर भर्ती को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं; नामत: —

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, (आशुलिपिक ग्रेड-III और आशुलिपिक ग्रेड-III) वर्ग 'ग' भर्ती नियम, 2005 कहा जाएगा।
 - (2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।
 - लाग् होना.—ये नियम, संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान. उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।
- 4. भर्ती प्रणाली, आयु सीमा, अर्हता आदि.—उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वीक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।
 - 5. **अनर्हता.** जिसने,—
 - (क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों; या
 - (ख) पति/पत्नी के जीवित रहते,हुए किसी से विवाह किया हो;

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्र सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथल कर सकती है।

	2
अन	-11

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद	या गैर प्रवरण पर
1	2	3	4		5
आशुलिपिक ग्रेड- II	20* (2005) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अन्तर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'ग', (अराजपत्रित)	₹. 5000-150-8000) गैर-	-प्रवरण
क्या जोड़े गए सेवा केन्द्रीय सिविल से नियम, 1972 के ि के तहत देय है	वा (पेंशन) पाने वालों		श्विक अर्हताएं नियु व्यक्ति प्रो न	सीधी भर्ती द्वारा क्ति पाने वाले क्तयों की अर्हताएं त व्यक्तियों के ले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
	7	8	***	9	10
6					

भर्ती प्रणाली: सीथी भर्ती द्वारा या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत

यदि भर्ती, प्रोन्नित/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की जाती है तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नित/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

12

11

प्रोन्नित द्वारा वैसा न हो सकने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोनित:

ग्रेड में नियुक्ति के बाद आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित आशुलिपिक ग्रेड-III। नोट: जहां अर्हता/पात्रता प्राप्त करने वाले किनष्ठ कर्मचारियों की प्रोन्नित पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों की प्रोन्नित पर भी विचार किया जाएगा परन्तु यह और कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता निर्धारित अर्हता/पात्रता सेवा वर्ष से अधिक से अधिक एक वर्ष कम हो।

प्रतिनियुक्ति:

केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या सांविधिक संगठनों में सदृश पद धारण किए हुए या रु. 4000-100-6000 के वेतनमान के पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी या समकक्ष।

(केन्द्र सरकार के उसी संगठन/विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य गैर निसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि कोई विभागीय प्रोन्नित समिति है, तो उसकी संरचना क्या है

जिन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

वर्ग 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित पर विचार करने के लिए) में निम्निलिखित शामिल होंगे :—

1. निदेशक/उप सचिव, पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग — अध्यक्ष

*कार्यभार के आधार

पर पदों की संख्या में

अन्तर आ सकता है।

 सहायक पोस्ट मास्टर जनरल (स्टाफ/लेखा) पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय, शिलांग इन नियमों के उपबंधों को संशोधित/शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक होगा।

1 2 स्टेनोग्राफर 8*(2005) साम

सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'ग', अराजपत्रित

7

—सदस्य

₹. 4000-100-6000

गैर-प्रवरण

18—25 वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों के मामले में 45 वर्ष तक शिथिलनीय)

ग्रेड- III

लागू नहीं अनिवार्य :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिकुलेट या समकक्ष

8

(ii) अंग्रेजी आशुलिपि में प्रति मिनट 80 शब्द और अंग्रेजी टंकण में प्रति मिनट 40 शब्द की गति लागू नहीं

10	-11
दो वर्ष	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत प्रतिनियुन्ति/आमेलन द्वारा।
	नोट: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर जाने या
	लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य
	किसी परिस्थिति में एक वर्ष या इससे अधिक
	अवधि के लिए हुई रिक्ति को केन्द्र सरकार में
	नियमित आधार पर समान पद धारण करने
	वाले और कालम 8 के अंतर्गत सीधी भर्ती
	के लिए निर्धारित अर्हताएं रखने वाले कर्म-
	चारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा
	सकता है।

(12)

प्रतिनियुक्ति/आमेलन

केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत नियमित आधार पर सदृश पदधारी अधिकारी

(केन्द्र सरकार के उसी संगठन/विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य गैर नि:संवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति सिहत प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्ययत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13		14
वर्ग 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/स्थायीकरण पर		लागू नहीं
वेचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे :		
1. निदेशक/उप सचिव, परिषद् सचिवालय, शिलांग	—अध्यक्ष	
2. सहायक पोस्ट मास्टर जनरल (स्टाफ/लेखा) पोस्ट		
मास्टर जनरल का कार्यालय, शिलांग	—सदस्य	

[सं. एनईसी/एडीएम/12/2003]

राजीव माथुर, उप सचिव

Shillong, the 16th March, 2005

- G.S.R. 190.—In exercise of the powers conferred by the provise to Article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group 'C' posts of Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 1995 and North Eastern Council Secretariat, Shillong (Stenographer Grade III post), Recruitment Rules, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade II and Stenographer Grade III in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely:—
- 1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called North Eastern Council Secretariat, Shillong, (Stenographer Grade II and Stenographer Grade III), Group 'C' Recruitment Rules, 2005.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of post, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and scale of pay attached thereto, shall be as specified in Columns 2 to 4 of the said Schedule.
- 4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be specified or in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.
 - 5. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

622	THE GAZ	ETTE OF INDIA:	JUNE 4, 2005	5/JYAISTHA 14, 1927		[PART II—SEC. 3(i)]
*			SCHEDUL	E		
Name of the post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection or Non-selection post	years o	er benefit of added of service admissible Rule 30 of the Central service (Pension) Rules
1	2	3	4	5		5
1. Stenographer Grade II	20*(2005) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service Group 'C', (Non-Gazetted)	Rs. 5000-150 8000)- Non-selection	Not ap	plicable
Age limit for dire		ducational qualific equired for direct r	ecruits q	Whether age and educar qualifications prescribe lirect recruits will apply ase of promotees	ed for	Period of probation, if any
7		8		9		10
Not applicable	N	ot applicable	ì	Not applicable		Not applicable
percentage of the	or by deput	her by direct recr ation/absorption a ed by various metho	má grad	ies îrom which promot le		/deputation/absorption, ation/absorption to be
11		·		12		
By Promotion, f	ailing which by	deputation	Ster			ar's regular service in the ereto on a regular basis.
			elig sen of ti yea	sibility service are bein lors would also be cons he requisite qualifying/	ng conside sidered pe eligibility	npleted their qualifying, red for promation, their ovided they are not show service by more than one ed their probation period
	3 6 1		Off or ana	Union Territories or	Statutory ght years 1	ent or State Governmen Organisations holding regular service in post in uivalent.
			ex- the	cadre post held immedi- same or some other	iately prec Organiza	d of deputation in anothe eding this appointment in ation/Department of the y not exceed three years.

The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application).

		mmittee exists, who	at is its	Public Serv	nces in which Union rice Commission to be n making recruitment.
	13				14
Group 'C' Depar (for considering 1. Director/Depar Council/Secretaria 2. Assistant Pos	promotion) couty Secretary, North at Master Gener	nsisting of :— North Eastern al (Staff/Accounts			Not applicable
Post Master Gen	ierai s Office, S	omitong –	-Member		
1	2	3	4	5	6
2. Stenographer Grade III	8*(2005) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service Group 'C', (Non-Gazetted)	Rs. 4000-100 6000	Non-Selection	18-25 years (Relaxable for Government servants upto age of 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).
7		8		9	10
Not applicable		sential: Matriculate or equ of a recognized U or Boards.	niversity	Not applicabl	e Two years
	(ii)	in English shorth 40 words per min English typing.	and and		
11	(ii)	in English shorth 40 words per min	and and		
away on deputation under other circum or more may be fill of the Central Gov	lirect recruitment ation/absorption caused by the on or long illner instances for a called on deputation deposessing the contraction of the contraction of the called on deputation of the called on d	in English shorth 40 words per mine English typing. Int and fifty Int. In incumbent being ss or study leave or thuration of one year on from the official ing analogous posts the qualifications	Deputa Officer holding r (Period another s of the three y deputat	analogous post or of deputation inc ex-cadre post held in the same or som Central Governmears. The maximum	cluding period of deputation in immediately preceding this appoint- e other Organization/Department ent, shall ordinarily not exceed m age limit for appointment by ceeding 56 years as on the closing
Fifty per cent by deputs Note—Vacancies away on deputation ander other circum for more may be fill of the Central Govern to regular basis are prescribed for directions.	lirect recruitment ation/absorption caused by the on or long illner instances for a called on deputation deposessing the contraction of the contraction of the called on deputation of the called on d	in English shorth 40 words per mine English typing. Int and fifty Int. In incumbent being ss or study leave or thuration of one year on from the official ing analogous posts the qualifications	Deputa Officer holding r (Period another s of the three y deputat	tion/absorption: s under the Central analogous post or of deputation incex-cadre post held i the same or som Central Governments. The maximum tion shall be not ex	n regular basis. cluding period of deputation in immediately preceding this appoint- e other Organization/Department nent, shall ordinarily not exceed m age limit for appointment by ceeding 56 years as on the closing on).
Fifty per cent by deputation of the Central Government and prescribed for direct the company of the Central Government and prescribed for direct the Central Government and	direct recruitment ation/absorption caused by the on or long illner instances for a called on deputation vernment holding and posssessing ect recruits under mental Promote mation) consists	in English shorth 40 words per min English typing. Int and fifty Int an	Deputa Officers holding r (Period another ment in of the three ye deputat date of r	tion/absorption: s under the Central analogous post or of deputation incex-cadre post held i the same or som Central Governments. The maximum tion shall be not ex	n regular basis. cluding period of deputation in mmediately preceding this appoint- e other Organization/Department, shall ordinarily not exceed mage limit for appointment by ceeding 56 years as on the closing